

सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (15000/- रुपये के स्टॉप पर)

प्रारूप - 8

(अनुसूची-3-11(i)(ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म0प्र0) में ऑल इण्डिया कोटा / स्टेट कोटा से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लियें)

सीट लिविंग बंध-पत्र

(सम्यक रूप से स्टांपित बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1. मैं पुत्र/ पुत्री/
पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म0प्र0) में स्नातक (MBBS) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र
में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम
2018, संशोधन जून 2019 एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भलिभांति पढ़कर समझ
लिया है।
3. मैंने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली
भांती पढ़कर समझ लिया है।
4. मैं एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
अ) मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत् रहकर पाठ्यक्रम
पूर्ण करूंगा/करूंगी।
ब) यह कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात
एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से व्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा
निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी
समिति को सीट लिविंग बांड राशि रु. 30,00,000/- (रु. तीस लाख) भुगतान करने का
वचन देता हूँ/ देती हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

प्रारूप - 8

(अनुसूची-3-11(i)(ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म0प्र0) में ऑल इण्डिया कोट / स्टेट कोट से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लियें)

ग्रामीण सेवा बंध-पत्र

(सम्यक रूप से स्टॉपित बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1. मैं पुत्र/ पुत्री/
पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म0प्र0) में स्नातक (MBBS) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र
में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम
2018, संशोधन जून 2019 एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भलिभांति पढ़कर समझ
लिया है।
3. मैंने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली
भाँती पढ़कर समझ लिया है।
4. मैं एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
अ) मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत् रहकर पाठ्यक्रम
पूर्ण करूंगा/करूंगी।
ब) यह कि, विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 01 वर्ष
शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख रु0
भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....